न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00444

प्रहलाद पुत्र गिलानाथ जाति नाथ (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

1. श्रीमती कमला आयु 55 वर्ष पत्नी स्व0 श्री प्रहलाद जाति नाथ ।
2. रामस्वरूप आयु 30 वर्ष पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद जाति नाथ ।
3. मुकेश आयु 24 वर्ष पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद जाति नाथ ।
4. सुश्री लाड आयु 15 वर्ष पुत्री स्व0 श्री प्रहलाद जाति नाथ जरिये माता संरक्षक श्रीमती कमला पत्नी स्व0 श्री प्रहलाद जाति नाथ ।
5. सुश्री आशा आयु 13 वर्ष पुत्री स्व0 श्री प्रहलाद जाति नाथ जरिये माता संरक्षक श्रीमती कमला पत्नी स्व0 श्री प्रहलाद जाति नाथ ।
6. सुश्री रानी आयु 11 वर्ष पुत्री स्व0 श्री प्रहलाद जाति नाथ जरिये माता संरक्षक श्रीमती कमला पत्नी स्व0 श्री प्रहलाद जाति नाथ ।
7. दिलराज आयु 09 वर्ष पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद जाति नाथ जरिये माता संरक्षक श्रीमती कमला पत्नी स्व0 श्री प्रहलाद जाति नाथ निवासीगण ग्राम बाबाजी का बरडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रामनिवास आत्मज पन्नालाल जाति रेगर निवासी सहकारी गोदाम के पास हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. पप्पू आत्मज पन्ना लाल जाति रेगर निवासी सहकारी गोदाम के पास हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. नन्दकिशोर आत्मज तेजमल जाति रेगर निवासी सहकारी गोदाम के पास हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. प्रभूलाल आत्मज रामा जाति रेगर निवासी सहकारी गोदाम के पास हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. ताराचन्द आत्मज नन्दकिशोर जाति रेगर निवासी सहकारी गोदाम के पास हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. प्रकाश आत्मज नन्दकिशोर जाति रेगर निवासी सहकारी गोदाम के पास हिण्डोली जिला बून्दी ।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री दीपक कुमार साहू, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 06.11.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 2631/4 रकबा 05 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 2631/5 रकबा 05 बिस्वा स्थित है । खसरा नम्बर 2631/4 रकबा 05 बिस्वा भूमि के पूर्व खातेदार हजारी लाल वल्द देवलाल गुर्जर थे एवं खसरा नम्बर 2631/5 रकबा 05 बिस्वा के पूर्व खातेदार दुर्गालाल वल्द देवीलाल थे । उक्त दोनों भूमियॉ वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 04.11.2000 को क्रय करके कब्जा प्राप्त किया था । प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 6 एक ही परिवार के सदस्य हैं एवं वादी से रंजिश रखते हैं उन्होंने उक्त भूमि के कुछ हिस्से पर जबरन एक छपरा, दो टापे एवं एक कच्चा घर बना लिया है जबकि उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल करवा कर कब्जा प्राप्त करे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 6 को बेदखल कर कब्जा वापस वादी को दिलाया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जावे कि वे शेष बचे हुए हिस्से पर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करे और न ही कब्जा करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 6 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. तहसीलदार हिण्डोली द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादी का वादपत्र खारिज करने एवं तहसीलदार हिण्डोली का काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का कथन किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.07.2015 के द्वारा वाद वादी खारिज करते हुए प्रतिवादी तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 29.06.2017 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2015 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान

को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत रूप से नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया ।

8. तत्पश्चात् वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.01.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी का पेश कर कथन किया वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में वाद परीक्षण न्यायालय में विचाराधीन था जिसे परीक्षण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया व प्रतिवादी क्रम 07 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया गया । उक्त आदेश की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में की गई जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 29.06.2017 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 15.07.2015 की पालना में इंतकाल संख्या 2437 दिनांक 11.08.2015 के द्वारा भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया गया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 15.07.2015 को माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा निरस्त कर दिया गया है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी की पूर्व की स्थिति राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे । अतः इंतकाल नं0 2437 को निरस्त किया जाकर पुनः उक्त भूमि को पूर्ववत मृतक प्रहलाद के वारिसान के नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे ।

9. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.10.2019 के द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी खारिज कर दिया ।

10. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.10.2019 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि कानून का यह स्थापित सिद्धान्त है कि जब निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर दिये जाते हैं तो निर्णय एवं डिक्री की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में किये गये इन्द्राज निरस्त कर निर्णय व डिक्री से पूर्व की स्थिति बहाल की जावेगी । इस कानूनी तथ्य को समझे बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है । परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 के पूर्व वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पिता प्रहलाद के खाते में दर्ज थी । निर्णय दिनांक 15.07.2015 की पालना में इंतकाल संख्या 2437 दिनांक 11.08.2015 के द्वारा उक्त भूमि को सवायचक दर्ज किया गया है । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.06.2017 से परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 को निरस्त किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 15.07.2015 से पूर्व की स्थिति को बहाल किया जावे ।

11. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

12. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट वादी ने एक दावा बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया था । इस दावसे में प्रतिवादी क्रम 07 तहसीलदार ने

काउन्टर क्लेम पेश किया । निर्णय दिनांक 15.07.2015 के द्वारा वादी का दावा खारिज करते हुए प्रतिवादी कम 07 सरकार का काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किये । इस निर्णय के खिलाफ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष अपील पेश कर गई और न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.06.2017 से पूर्व में पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 15.07.2015 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया था । निर्णय दिनांक 15.07.2015 की पालना में इंतकाल संख्या 2437 खोला जाकर वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज किया गया है । अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व की स्थिति बहाल रखने हेतु निवेदन किया गया जिसे परीक्षण न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज किया है । वादग्रस्त आराजी दिनांक 15.07.2015 से पूर्व अपीलान्ट के पिता के खाते में दर्ज थी । दिनांक 15.07.2015 का निर्णय अपास्त होने पर धाररा 144 सीपीसी के तहत पूर्व की स्थिति को बहाल रखना आवश्यक है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दिनांक 11.10.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

13. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.2019 बहाल रखा जावे ।

14. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने आदेश दिनांक 15.07.2015 से प्रतिवादी कम 07 का काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित किया गया था । इस निर्णय के खिलाफ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील पेश होने पर उनके निर्णय दिनांक 29.06.2017 के द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2015 को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया था । अपीलान्ट प्रार्थी के द्वारा वादग्रस्त आराजी को परीक्षण न्यायालय का निर्णय अपास्त हो जाने की स्थिति में पुनः अपने खाते में दर्ज करवाने हेतु धारा 144 सीपीसी के तहत यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से यह कथन करते हुए खारिज किया गया है कि बिना साक्ष्य सुनवाई के आराजी को पूर्व की स्थिति में दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । अधीनस्थ न्यायालय का यह मत धारा 144 सीपीसी के प्रावधनों के विपरीत है । धारा 144 सीपीसी के अनुसार जब किसी डिक्री को किसी अपील में उलट दिया जावे वहॉ वह न्यायालय जिन्होंने डिक्री या आदेश पारित किया है उस पक्षकार के आवेदन पर जो प्रत्यास्थापन का हकदार है – ऐसा प्रत्यास्थापन करवाएगा जिससे पक्षकार जहॉ तक हो सके, उस स्थति में हो जाएगें जिसमें वे होते, यदि वह डिक्री नहीं पारित की गई होती । इस प्रकार धारा 144 सीपीस के प्रावधानों के अनुसार अपीलीय न्यायालय के द्वारा परीक्षण न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने की स्थिति में परीक्षण न्यायालय के निर्णय से पूर्व की राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति को बहाल किया जाना बाध्यकारी है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है व अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.10.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 29.06.2017 को यदि किसी अपीलीय न्यायालय के द्वारा स्थगित अथवा निरस्त नहीं किया गया हो तो राजस्व रिकॉर्ड की परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 के पूर्व की स्थिति को बहाल रखा जावे । साथ ही इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.06.2017 की अनुपालना में पत्रावली प्राप्ति के 03 माह के अन्दर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 28.12.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 06.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/11/2020

(भार्गवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा